


बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक-6221 दिनांक-16.07.2025 द्वारा सूचित किया गया है कि श्री शशि कुमार (पैतृक विभाग-सहाकारिता विभाग, बिहार, पटना), तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, सीतामढ़ी सम्प्रति जिला सहकारिता पदाधिकारी, भागलपुर के विरुद्ध विभागीय पत्रांक-164363 दिनांक-09.10.2024 द्वारा प्रेषित आरोप पत्र के आलोक में श्री कुमार के विरुद्ध गठित आरोपों की वृहद जाँच बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17(5) के तहत अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गयी। श्री कुमार के विरुद्ध संचालित अनुशासनिक कार्यवाही में संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है तथा प्रस्तुत मामले में प्रस्तुतीकरण/उपस्थापन पदाधिकारी के रूप में किसी पदाधिकारी को नामित करने हेतु विभाग से अनुरोध किया गया है।


2. उक्त के आलोक में श्री कुमार के विरुद्ध संचालित अनुशासनिक कार्यवाही में जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, सीतामढ़ी को प्रस्तुतीकरण/उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

3. आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।


(रवीन्द्र कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक-प्र08-गो0आ0(सीतामढ़ी)-20/2024- 1372 /खाद्य,पटना/दिनांक- 19/03/2026
प्रतिलिपि- मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असेनिक आपूर्ति निगम, पटना/जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी एवं भागलपुर/संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर-सह-संचालन पदाधिकारी/जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, सीतामढ़ी-सह-उपस्थापन पदाधिकारी (कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक-6221 दिनांक-16.07.2025 की प्रति के साथ)/कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को उनके पत्रांक-1626 दिनांक-20.02.2026 के संदर्भ में/सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना एवं श्री शशि कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


सरकार के संयुक्त सचिव ।